

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2163
उत्तर देने की तारीख 05.08.2024

यूनेस्को द्वारा दर्जा प्राप्त साहित्य शहर कालीकट को बढ़ावा देना

2163. श्री एम. के. राघवन :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार के पास यूनेस्को द्वारा दर्जा प्राप्त साहित्य शहर कालीकट को अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए कोई योजना और कार्यक्रम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार अपनी किसी एजेंसी के माध्यम से कालीकट शहर में साहित्य कार्यक्रमों को वित्तपोषित करती है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या कालीकट में मंदिर विरासत को बहाल करने और बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार रेवती पट्टाथनम जैसी कालीकट की सबसे पुरानी सांस्कृतिक प्रथा को संरक्षित करने और संवर्धित करने के लिए कोई पहल कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

- (क): संस्कृति मंत्रालय के पास शहरों को अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक गंतव्य स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए कोई योजना या कार्यक्रम मौजूद नहीं है। तथापि, यह मंत्रालय शहरों को यूनेस्को सृजनात्मक शहर नेटवर्क (यूसीसीएन) के अंतर्गत सक्रिय रूप से आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

यूनीसीएन, शहर प्रायोजित पहल है और संबंधित शहर द्वारा उक्त नेटवर्क में सम्मिलित होने के पश्चात इसके उद्देश्यों को कार्यान्वित किया जाता है।

संस्कृति मंत्रालय, आवेदनकर्ता शहरों को यूनेस्को सृजनात्मक शहर नेटवर्क में सम्मिलित होने के लिए आवेदन फाइल को पूर्ण करने हेतु अपेक्षित समर्थन पत्र जारी करने में भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्को सहकारिता आयोग (आईएनसीसीयू) का सहयोग करता है।

(ख): देश के किसी राज्य/शहर के लिए विशिष्ट तौर पर पृथक निधि नहीं है। तथापि, संस्कृति मंत्रालय अपने नियंत्रणाधीन साहित्य अकादेमी के माध्यम से भारतीय भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने का कार्य करता है और इस कार्य के लिए साहित्य अकादेमी के पास साहित्य अकादेमी द्वारा मान्यताप्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में से प्रत्येक भाषा के लिए भाषा परामर्शदात्री बोर्ड हैं।

(ग): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ): भारत की समृद्ध और विविध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को परिरक्षित और संवर्धित करने के उद्देश्य से, 2013 से, "भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा" नामक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। तथापि, किसी विशेष राज्य/शहर की सांस्कृतिक प्रथा को परिरक्षित करने के लिए कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है।
